राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय: भवानी सिंह रोड, जयपुर

क्रमांक:-प्रका/पीडी/9(स्टो•चा•)2001/17467.   दिनांक: 10.10.2001

परिपत्र

समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/
भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी),
राज्य भण्डार गृह•

विषय:- निगम के भण्डार गृहों पर कृषकों द्वारा जमा कराये गये स्टॉक पर संग्रहण शुल्क में दीजा रहीं छूट में वृद्धि किये जाने बाबत।

निगम परिपत्र क्रमांक 1806 दिनांक 28•01•86, 10388 दिनांक 21•05•87 एवं 5006 दिनांक 16•03•89 के अन्तर्गत कृषकों को संग्रहण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये हुये हैं:-

1•	समस्त कृषकों को	50 प्रतिशत
2•	समस्त अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को	60 प्रतिशत

(नोट- बीमा प्रभार में कोई छूट देय नहीं होगी)

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 170 दिनांक 29•09•2001 में लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01•10•2001 से कृषकों को संग्रहण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

1•	समस्त कृषकों को	60 प्रतिशत
2•	समस्त अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को	70 प्रतिशत

(नोट- बीमा प्रभार में कोई छूट देय नहीं होगी)

संग्रहण शुल्क में उक्त छूट सिर्फ वास्तविक काश्तकारों को ही देय है, जो कि निम्न प्रारूप में सम्बन्धित हल्का पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें:-

प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि • • • • • • • • • • पुत्र श्री • • • • • • जाति • • • • • • • • निवासी • • • • • • • • कृषक हैं और उनकी ग्राम • • • • • में खसरा नं• • • • • • • • बीघा भूमि है। इस भूमि पर वर्ष • • • • • में • • • • • • • • • • • (जिन्स) पैदा हुई है।

तहसीलदार/पटवारी
हल्का • • • • •
तहसील • • • • • •
जिला • • • • • •

कृ०प०उ० • • • • 2•

यदि कृषक की उपज क्रय विक्रय सहकारी समिति, कृषि उपज मण्डी समिति अथवा अन्य किसी सहकारी संस्था द्वारा कृषक के नाम निगम के भण्डार गृहों पर जमा करायी जाती है एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि संग्रहित की जा रही उपज उनके द्वारा घोषित कृषक की है तो उससे तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर भी उपरोक्तानुसार संग्रहण शुल्क में छूट प्रदान की जावे ।

निगम द्वारा संग्रहण शुल्क में कृषकों को प्रदान की जा रही उक्त छूट की जानकारी समस्त कृषकों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों, कृषि उपज मण्डी समितियों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं को करादें तथा निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संग्रहण शुल्क की छूट की सुविधा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जावे ।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. पंजीयक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. निदेशक, कृषि विपणन, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली ।

प्रबन्ध निदेशक